तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज भंवरसिंह बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार बालेसर) सू.अ.अ. अपील संख्या 248 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.01.21	अपीलार्थी भंवरसिंह पुत्र कोजसिंह राठौड़, पता गांव पोस्ट सेखाला, पं.सं. सेखाला तहसील बालेसर जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.09...20 में उसके द्वारा (1) 1 जनवरी 2015 से 16 सितम्बर 2020 तक ग्राम पंचायत सेखाला की आबादी भूमि खसरा–431 के पट्टा रिकॉर्ड का तहसील कार्यालय में पंजीयन एवं राजकीय भूमि खसरा सं. 698, व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बालेसर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 20.10.2020 को सूचित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बालेसर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(तहसीलदार बालेसर) से जरिये पत्रांक 620 दिनांक 22.12.2020 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय में विभिन्न शाखाओं से दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक सू.अ.अ. / 2020 / 517 दिनांक 20.10.20 से सूचित किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक दस्तावेज निरीक्षण हेतु कोई राशि जमा नहीं करवाई गई। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को दस्तावेज के निरीक्षण करने एवं नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा कराने का पत्र जारी करने के पश्चात् दिनांक 26.10.20 को प्राप्त हो गया उसके उपरांत भी राशि जमा नहीं करवाई गई तथा इस अपील के जरिये निशुल्क निरीक्षण कराने का आदेश देने की इस्तदुआ की गई जो स्वीकार योग्य नहीं होने से अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलार्थी से आग्रह किया जाता है कि अब भी सूचना से संबंधित रिकॉर्ड का निरीक्षण करना चाहता है तो निर्धारित शुल्क राशि जमा कराकर निरीक्षण कर सकता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	